



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

14.10.2025

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कैराना पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 293

ग्राम चरस बरामद:-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 13.10.2025 की रात्रि में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर तसव्वर पुत्र एजाज हसन उर्फ जाजा निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 293 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 639/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त तसव्वर उपरोक्त के मादक पदार्थों तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. तसव्वर पुत्र एजाज हसन उर्फ जाजा निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

बरामदगी का विवरण:-

1- अवैध 293 ग्राम चरस।

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।



थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी
अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. काला पुत्र पातीराम बावरिया निवासी बडा खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवास मौ0 सम्राट रोड कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. इमरान पुत्र एहसान निवासी मौ0 शाहगासी दरवाजा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. शिवम उर्फ माठी पुत्र स्व0 जयकुमार निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा शातिर महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.09.2025 को वादी अनुज पुत्र श्रीनिवास गर्ग की तहरीर- समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले से सोने की चेन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतावाली पर मु0अ0सं0 493/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक महिला को चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

ज्योति पत्नि स्व0 सुरेश निवासी सीपीओ मदनगिर थाना अम्बेडकरनगर नई दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण:-

पीली धातु की गिट्टी ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

1. वर्ष 2014 में अभियुक्त शाहनवाज पुत्र नानू निवासी कुरेशियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0-158/2014 धारा-11घ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 14.10.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना से अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI